

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

दिनांक 23.11.17

मि.न.175/17

सरकार बनाम हनुमान वगै० -

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली के ख० न० 210/1.30 है० किस्म बजंड मेंसे 0.90 है०,805/0.0473 है० किस्म बजंड मेंसे 0.03 है०,404/0.0173 है० किस्म बजंड मेंसे 0.0173 है० पर हनुमान ,दाताराम बाबूलाल पुत्रान देवकरण जाति गुजर निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित नहीं आये तथा तथा जबाब पेश नहीं किया गया । अतः प्रत्रावली में संलग्न दस्तावेज तथा पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन करने पर गैर सायलान का उक्त खसरा नंबर पर अतिक्रमण सिद्ध होता है। इस लिये गैर सायलान के विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है।

अतः गैर सायलान हनुमान, दाताराम ,बाबूलाल पुत्रान देवकरण जाति गुजर निवासी मलपुरा वाके ग्राम मलपुरा के आ०ख०न०ख० न० 210/1.30 है० किस्म बजंड मेंसे 0.90 है०,805/0.0473 है० किस्म बजंड मेंसे 0.03 है०,404/0.0173 है० किस्म बजंड मेंसे 0.0173 है० पर अतिक्रमि घोषित करते हुए उक्त आराजियात पर की गई जोत को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 1.90रू का पचास गुणा 95रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू० अ० नि० व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.11.17 को सरें इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

दिनांक 23.11.17 को सरें इजलास सुनाया गया ।
संख्या 15... पर 9.5.20
किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली